

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बगोली - चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.118 है0 सिविल भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस0एस0पी0)					
क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल		4.2360	है0	सिविल	
क्र0	रोपित प्रजातियां	संख्या			
1	बांज	2002			
2	अंगू	1550			
3	भीमल	2244			
4	कचनार	2676			
योग		8472			
प्रथम वर्ष					
क्र0	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु0	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे व सीमांकन	4.2360	है0	78.00	330.41
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.2360	है0	2543.00	10772.15
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	4.2360	है0	15309.00	64848.92
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	L.S	खाल	4800.00	4800.00
5	गड्ढो का खुदान 0.30x0x30x0.45cum	8472	प्र0ग0	5.42	45918.24
6	निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है0 50र0मी0 लम्बी व 0.60मी0 चौड़ी)	127.080	वर्ग मी0	12.00	1524.96
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	8472	प्र0 सं0	4.30	36429.60
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंत्र औजार तैज करना	4.2360	है0	264.00	1118.30
9	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान)	4.2360	है0	6240.00	26432.64
प्रथम वर्ष का योग					192175.22
द्वितीय वर्ष					
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	8472	सं0	0.97	8217.84
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	8472	सं0	1.20	10166.40
3	पौध दुलान कार्य	8472	सं0	6.00	50832.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	8472	सं0	1.89	16012.08
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	8472	सं0	1.29	10928.88
6	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	8472	सं0	1.11	9403.92

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3	4	5	6
7	खाद व दवा पर व्यय	4.2360	हे०	0.00	0.00
8	प्रथम वर्ष में बृक्षारोपण की देख रेख व रख रखाव पर व्यय (वाचर 1अग० से अगले वर्ष 28फरबरी तक 7 माह)	4.2360	प्र०हे०/ माह	468.00 / manth	13877.14
9	9.1 बृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/काला बांसा)	4.2360	हे०	1287.00/ Heac	5451.73
	9.2 सुरक्षा दिवाल घेरवाड के बाहर 4 मी की पट्टी साफ करना 150 र०मी०/हे०			0 00	0.00
	9.3 बृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना । अ- प्रशिक्षण	L.S			0.00
	ब- प्रोत्साहन	L.S			0.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी सुतली , बोरी आदि क्रय , बृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलीथीन सीट क्रय करना व वर्ष में दो तीन बार फोटो ग्राफी फिल्ड स्थरीय कार्यो को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य ।	4.236 हे०		780.00)	3304.08
10	अन्य कार्य				
कुलयोग द्वितीय वर्ष					128194.07
तृतीय वर्ष					
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	4.2360	हे०	468.00)	23789.38
	2.1 बृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखीघास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	4.2360	हे०	0.00	0.00
	2.2 सुरक्षा दिवाल घेरवाड के बाहर 4 मी की पट्टी साँफ करना	6.3540	कि:मी०	0.00	0.00
2	2.3 बृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना । अ- प्रशिक्षण	L.S		0.00	0.00
	ब- प्रोत्साहन	L.S		0	0.00

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
		3	4		
1	2			5	6
	पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	847	स० / पौध	5.50	4659.60
	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण करना	847	स० / पौध	3.20	2711.04
3	पौधों का दुलान कार्य करना	847	स० / पौध	6.00	5083.20
	गडढों में रसायन खाद	847	स० / पौध	0.00	0.00
	गडढों में गोबर खाद डालना मय दुलान सहित	8472	%	133.00	11267.76
	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	8472	%	111.00	9403.92
तृतीय वर्ष का योग					56914.90
चतुर्थ वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
चतुर्थ वर्ष का योग :-					25102.54
पंचम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
पंचम वर्ष का योग :-					25102.54
छटा वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
छटा वर्ष का योग :-					25102.54
सातवां वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
सातवां वर्ष का योग :-					25102.54
आठवां वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
आठवां वर्ष का योग :-					25102.54
नोवा वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
नोवा वर्ष का योग :-					25102.54

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
		3	4		
1	2			5	6
दसवां वर्ष					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.2360	है०	468.00	23789.38
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	4.2360	है०	310.00	1313.16
दसवां वर्ष का योग :-					25102.54
5-कुल व्यय सांरास रूपये में					
क्र०	वर्ष का नाम	4.2360	है०	वनीकरण पर कुल व्यय	
1	प्रथम वर्ष				192175.22
2	द्वितीय वर्ष				128194.07
3	तृतीय वर्ष				56914.90
4	चतुर्थ वर्ष				25102.54
5	पंचम वर्ष				25102.54
6	छटा वर्ष				25102.54
7	सातवां वर्ष				25102.54
8	आठवां वर्ष				25102.54
9	नौवां वर्ष				25102.54
10	दसवां वर्ष				25102.54
कुल व्यय रूपये					553001.94
सिलिंग के अनुसार देय दर @ 130000.00 रु०/है०		4.2360	Hac		550680.00

वन क्षेत्राधिकारी
असेड रिजर्व रेंज
नारायणगढ़

जांच किया
इ० प्रा०/मा० वि० प्रभाग
बद्रीनाथ व० प्रा० नारायणगढ़

(सोदपाल सिद्धनेगी)
क० ए०

प्रभानीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
बोधेश्वर (क० ए०)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सेवा में,

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय,
असेड़ सिमली रेंज नारायणबगड़ चमोली।

विषय:-

बगोली से चूला मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है, कि आज दिनांक 14.08.2013 को पी0एम0जी0एस0वाई0 उपखण्ड कर्णप्रयाग के साथ कौल्सों बैण्ड से गबनी तक के 06 से 14 किमी0 के 6 मीटर चौड़ाई में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। जिसमें पेड़ों की सूची प्रजातिवार एवं वर्गवार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग									
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90से ऊपर
1.	बांज	47	26	16	09	03	-	-	-	-	-
2.	चीड़	04	08	06	03	-	-	-	-	-	01
3.	तुन	-	01	02	-	-	-	-	-	-	-
4.	खड़ीक	-	-	03	-	-	02				

कुल योग-131 पेड़

अतः सूचना महोदय, की सेवा में प्रेषित है।

Staud

जगमोहन सिंह बिष्ट
अमीन
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कर्णप्रयाग।

Aben

धीरेन्द्र सिंह भण्डारी
अपर सहायक अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कर्णप्रयाग।

WAS

महिपाल सिंह नेगी
वन दरोगा सिमली रेंज
नारायणबगड़


Staud
वन क्षेत्राधिकारी
असेड़ सिमली रेंज
नारायणबगड़
दिनांक - 01/08/2013


Staud
वन क्षेत्राधिकारी,
असेड़ सिमली रेंज
नारायणबगड़

परियोजना का नाम :- बगोली से चूला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र०सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सिविल सोयम	52	35	27	12	3	2	-	-	-	-	131
3	संरक्षित वन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वन भूमि का योग	52	35	27	12	3	2	-	-	-	-	131
5	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (नाप भूमि तथा सिविल भूमि)	52	35	27	12	3	2	-	-	-	-	131

ह०/- 
 राजि अधिकारी
 वन क्षेत्राधिकारी
 असेंड सिविल रेंज
 नारायणबगड़

ह०/- 
 प्रभारणीय क्षेत्राधिकारी
 असेंड जल्दा भू-सूचना वन प्रभाग
 जोधपुर

परियोजना का नाम :- बगोली से चूला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	-	-	-
2.	सिविल सोयम	131	131	चीड़, बॉज, तुन व खडीक।
3.	वन पंचायत	-	-	-
4.	संरक्षित वन	-	-	-
	योग :- वन भूमि	131	131	चीड़, बॉज, तुन व खडीक।
5.	नाप भूमि	0	0	-
	कुल योग :-	131	131	चीड़, बॉज, तुन व खडीक।

ह0/-
वन क्षेत्र अधिकारी
असेड सिमली रेंज
नारायण

ह0/-
प्रभागीय वन अधिकारी
बगोली वन विभाग
बोपेश्वर

परियोजना का नाम :- बगोली से चूला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।

आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की	दर	कुल मूल्य
1	बॉज	0-10	47	90.00	4230.00
		10-20	26	240.00	6240.00
		20-30	16	600.00	9600.00
		30-40	9	2330.00	20970.00
		40-50	3	5070.00	15210.00
2	चीड़	0-10	4	50.00	200.00
		10-20	8	145.00	1160.00
		20-30	6	225.00	1350.00
		30-40	3	485.00	1455.00
	खडीक	20-30	3	160.00	480.00
		50-60	2	780.00	1560.00
14	तुन	10-20	1	75.00	75.00
		20-30	2	190.00	380.00
		कुल योग	131		62910.00

प्रभारिता वनाधिकारी
अलकनन्दा भूखण्ड वन प्रभाग
गोपेश्वर

ह० नारायण
वनक्षेत्राधिकारी
असेड सिमली रेंज
नारायणबगड़

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त
उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक /

दिनांक

2014

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बगोली से चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.118 है0 सिविल सोयम दिनांक 14.08.2013 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई। गणना में निम्नलिखित बांज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

क्र० सं०	ब्लॉक	प्रजाति	ब्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	सिविल	बांज	47	26	16	09	03	-	-	-	-	-	101
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है, और यह मोटर मार्ग दूरस्थ क्षेत्र की जनता के लिये अति महत्वपूर्ण है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त बांज वृक्ष पातन अपरिहार्य है।

सहायक वन अधिकारी

बद्रोन थ वन भाग
शोपेश्वर (गढ़वाल)

हस्ताक्षर

वन संरक्षक

वन क्षेत्रिकारी
असेंड-सिविल रेंज
नारायणबगह

मोहपाल सिंह नेगी
१०-१०

११०

परियोजना का नाम :- बगोली से चूला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

क. सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	वय										योग		
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक			
1.	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	सिविल सोयम	चूला व खवनी	बाँज	<i>Quercus leucotrichophora</i> <i>Camus ex Bahadur</i> (syn. <i>Q. incana</i> Roxb)	47	26	16	9	3	-	-	-	-	-	-	-	101
3.	वन पंचायत		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	संरक्षित वन		बाँज		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग :- वन भूमि				47	26	16	9	3	-	-	-	-	-	-	-	101
5.	नाप भूमि	चूला व खवनी	बाँज	<i>Quercus leucotrichophora</i> <i>Camus ex Bahadur</i> (syn. <i>Q. incana</i> Roxb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग :-				47	26	16	9	3	-	-	-	-	-	-	-	101

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


हो/सहायकारी
वन अधिकारी
राजि अधिकारी


500/-
वन अधिकारी
राजि अधिकारी
गोपबंदर


परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में बगोल से चूला तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 7.275 कि०मी०)


न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हैं, व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठा अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि० कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि० कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि० कर्णप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
असेड सिमली रेंज
नारायणबागड़


प्रभानीय वन अधिकारी
ब्रह्मन थ वन प्रभाग
शोपेश्वर (चमोली)

MUCK DISPOSAL PLAN

Name of the work: Construction of Bagoli to Chula Motor Road under PMGSY

Material received Due to Hill Side Cutting(7.275X3/2X7.00X1000) = 76387.50 cu.m.

Add Swell factor @ 40% - 30555.00 cu.m.

Total - 106942.50 cu.m.

Use of Material-

Sl. No.	Item for Which Material is to be used	Quantity	Index at which the material will be consumed per unit	Quantity of material Consumed (in cu.m.)
1.	Stone Masonry in cement sand mortar	1631.00 cu.m.	1.15	1875.65
2.	Stone Masonry laid Dry	4361.00cu.m.	1.15	5015.15
3.	Hand Packed Stone Filling	1158.00 cu.m.	1.00	1158.00
4.	Construction of Wire Crates	1356.50 cu.m.	1.00	1356.50
5.	Granular Sub- Base (GSB)	2591.50 cu.m.	1.00	2591.50
6.	Construction of Parapets	0 Nos.	0.54	0
7.	Construction of Road Side Drain	1173.00 m	0.167	195.89
8.	Construction of Scuppers	251.00 m	8.01	2010.51
9.	Concreting Works	175.00cu.m.	0.96	168.00
Material to be Consumed for Carrying out Stage-II works				
10.	GSB (grading-1) works	4200.00 cu.m.	1.00	4200.00
11.	G3 (grading to be done using granulator at site)	1650.00 cum	1.00	1650.00
12.	Super Elevation and Patri filling	15000.00 m	0.90	13500.00
				81692.20
Say (in cu.m.)				33721.20

Balance Material Left for Disposal

= (106942.50-33721.20) cu.m.

= 73221.30cu.m. or 1.220 Hec

As per the attached Detail, the capacity

of the Dumping Zone (in Hectare of Private Land) = cu.m.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ग्रामीण विकास अधिकारी
 ब्रह्मानाथ वन - जाट
 बोपेश्वर (बगोली)

[Handwritten signature]
EE


Muck disposal detail of Bagoli chula motor road under P.M.G.S.Y.

DETAIL OF MUCK DISPOSAL SITES

Sl. No.	Location of the Dumping Yard	Owner of the land	Khasra No.	Area of the land			Height of the Dumping Zone (m)	Volume of the Dumping Zone (cu.m.)	Longitude / Latitude				
				Length (m)	Width (m)	Area (in hectares)							
1		Sri Mohan singh S/o Khayali Singh	3	23.33	6.00	0.014	6.00	840	79°18'12.21"E 30,10'49.61" N				
			4	51.72	8.70	0.045	6.00	2700					
			5	14.61	8.90	0.013	6.00	780					
			6	37.08	8.90	0.033	6.00	1980					
			13	24.19	6.20	0.015	6.00	900					
			14	40.32	6.20	0.025	6.00	1500					
			15	30.77	6.50	0.020	6.00	1200					
			16	44.62	6.50	0.029	6.00	1740					
			17	55.38	6.50	0.036	6.00	2160					
			2		Sri Kripal Singh S/O Sri Hukam Singh	343	26.32	7.60		0.020	6.00	1200	79°18'20.19" E 30°10'48.65" N
						344	24.39	6.15		0.015	6.00	900	
						345	31.58	7.60		0.024	6.00	1440	
						346	47.15	6.15		0.029	6.00	1740	
						1240	19.74	7.60		0.015	6.00	900	
						1241	99.19	6.15		0.061	6.00	3660	
						1264	26.32	7.60		0.020	6.00	1200	
			3		Sri Awtar Singh S/o Sri Govind Singh	1265	39.47	7.60		0.030	6.00	1800	79°18'23.08" E 30°10'41.58" N
1267	37.40	6.15				0.023	6.00	1380					
1268	89.74	7.80				0.070	6.00	4200					
1224	90.28	7.20				0.065	6.00	3900					
1225	115.28	7.20				0.083	6.00	4980					
1226	93.75	8.00				0.075	6.00	4500					
1227	66.15	6.50				0.043	6.00	2580					
1228	56.90	5.80				0.033	6.00	1980					
1229	50.57	8.70				0.044	6.00	2640					
1230	13.79	5.80				0.008	6.00	480					
1247	88.37	8.60				0.076	6.00	4560					
1245	35.38	6.50				0.023	6.00	1380					
1208	84.48	5.80				0.049	6.00	2940					

DETAIL OF MUCK DISPOSAL SITES

Sl. No.	Location of the Dumping Yard	Owner of the land	Khasra No.	Area of the land			Height of the Dumping Zone (m)	Volume of the Dumping Zone (cu.m.)	Longitude / Latitude
				Length (m)	Width (m)	Area (in hectares)			
4	2.325 to 2.475 km	Sri Sujan Singh S/o Sri Mehrwan Singh	1209	62.79	8.60	0.054	6.00	3240	79° 18' 38.80" E 30° 10' 32.57" N
			942	22.89	8.30	0.019	6.00	1140	
			943	14.94	8.70	0.013	6.00	780	
			958	16.09	8.70	0.014	6.00	840	
			959	6.58	7.60	0.005	6.00	300	
			960	7.02	5.70	0.004	6.00	240	
			961	11.30	11.50	0.013	6.00	780	
			962	17.95	7.80	0.014	6.00	840	
			963	11.84	7.60	0.009	6.00	540	
			964	19.30	5.70	0.011	6.00	660	
			965	23.08	7.80	0.018	6.00	1080	
			966	10.26	7.80	0.008	6.00	480	
			967	7.89	7.60	0.006	6.00	360	
			968	10.53	5.70	0.006	6.00	360	
			969	14.10	7.80	0.011	6.00	660	
			970	10.26	7.80	0.008	6.00	480	
			971	22.81	5.70	0.013	6.00	780	
972	15.12	8.60	0.013	6.00	780				
973	33.87	6.20	0.021	6.00	1260				
974	15.29	8.50	0.013	6.00	780				
Total							Total volume of dumping zone (in Cum)	78540.00	


महानगर पंचायत
 बरान मन्डल गा.प.
 पोस्ट (समेली)

“अनापत्ति प्रमाण-पत्र”

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग बगोली-चूला के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष तैयार हूँ।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम:-

ग्राम:-

तहसील- कर्णप्रयाग,


जिला- चमोली।

“भूमिधर का नाम एवं भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र”

बगोली-चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी० पर प्रस्तावित भूमि श्री. कृपालसिंह आर्य पुत्र श्री. दुकमासिंह ग्राम चूला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र - नलगॉव/ कोटी, तहसील - थराली/कर्णप्रयाग, जिला-चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क०स०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि हैक्टेयर
1	5 343	0.020
	344	0.015
	345	0.024
	346	0.029
	1240	0.015
	1241	0.061
	1264	0.020
	1265	0.030
	1267	0.023
	1268	0.070
	क्षेत्र पंचायत बगोली दांडे	
	वि०स० कर्णप्रयाग (चमोली)	

राजस्व उपनिरीक्षक



Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the name 'Gaurish' and other illegible text.

“अनापत्ति प्रमाण-पत्र”

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग बगोली-चूला के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण /मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष तैयार हूँ।

भवदीय

हस्ताक्षर अवतार सिंह
नाम:- अवतार सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
ग्राम:- चूला
तहसील- कर्णप्रयाग,
जिला- चमोली।


“भूमिधर का नाम एवं भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र”

बगोली-चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 0 पर प्रस्तावित भूमि श्री अवतार सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह ग्राम चूला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र - नलगाँव/ कोटी, तहसील - थराली/कर्णप्रयाग, जिला-चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क0स0	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि हैक्टेयर
1	13	
	1224	0.065
	1225	0.083
	1226	0.075
	1227	0.043
	1228	0.033
	1229	0.044
	1230	0.008
	1247	0.076
	1245	0.025
	1208	0.049
	1209	0.054

क्षेत्र: नलगाँव थराली कोटी
वि0स0 कर्णप्रयाग (चमोली)

अवतार सिंह
अवतार सिंह



अवतार सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक

“अनापत्ति प्रमाण-पत्र”

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग बगोली-चूला के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डम्पिंग हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष तैयार हूँ।

भवदीय

हस्ताक्षर सुजान सिंह

नाम- सुजान सिंह आदि

ग्राम-: गबनी

तहसील- कर्णप्रयाग,

जिला- चमोली।

“भूमिधर का नाम एवं भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र”

बगोली-चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी० पर प्रस्तावित भूमि श्री सुजान सिंह आदि पुत्र श्री मेहरवान सिंह ग्राम गबनी राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र - नलगाँव/ कोटी, तहसील - थराली/कर्णप्रयाग, जिला-चमोली के नाम है, जिसका सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-



क०स०	खाता/ खसरा नम्बर	भूमि हेक्टेयर
1	42	942
		943
		958
		959
		960
		961
		962
		963
		964
		965
		966
		967
		968
		969
		970

[Signature]
राजस्व उपनिरीक्षक



[Signature]

Name of work :- Muck disposal plan & Cross Section.



PLAN

Note:

- (i) Drawing not to be made
- (ii) All dimension in meter.

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बँगोली - चूला मोटर मार्ग (7.275कि०मी०) के नव निर्माण में आ रही भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्तण सेवा विभाग
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्तण सेवा विभाग
अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
असई-सिमली रेंज
भारायणबगड़

साक्षात्कारित ()
१०/१०

प्रभागीय वनाधिकारी
बन क्षेत्राधिकारी
बोपश्वर (माली)

राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बगोली - चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.118 है0 सिविल भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव, प्रस्तावित योजना की राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी 10.00 किमी से अधिक है। यह प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्र अधिकारी
असेडू-सिमली रेंज
नारायणबगड

महापालिका (नेम)

प्रधानी अधिकारी
ब्रह्मनाथ बग - बग
बोपेडूर (चमोली)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली से चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 2.118 हैक्टेअर का पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग को हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

AAK

[Handwritten Signature]

सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
असेड सिमली रेंज
नारायणबगुडा

[Handwritten Signature]

अधिसासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रभाषीन क्षेत्राधिकारी
बदला प्रयाग
मोपबद (चमोली)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण - पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र -

मै कमला देवी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत - चूला यह प्रमाणित करती हूँ कि दिनांक 21/09/12 से 22/09/12 तक पी०एम०जी०एस०वाई० विभाग द्वारा बँगोली से अक्की नहणी कर्णप्रयाग विकासखण्ड कर्णप्रयाग तक सर्वेक्षण किया गया, त्रिलोचर समस्त ग्राम वादियों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

ग्राम वादियों को भूमि के बदले में भी मुआवजा जिस दर से दिया जाएगा, ग्राम वादियों को इतने मुआवजा आपत्ति नहीं होगी।

अवधीय -

अनापत्ति

अवधीय

अनापत्ति

नारायणसिंह

अनापत्ति

जगत सिंह

गोविन्दसिंह

अनापत्ति

अनापत्ति

अनापत्ति

अनापत्ति


अनापत्ति

अनापत्ति

अनापत्ति

अनापत्ति

अनापत्ति



सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड-कर्णप्रयाग

अधिसास्त्री अभियन्ता

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड-कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

प्रस्तावित परियोजना का मद् वार विवरण

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बँगोली – चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु परियोजना कार्य का विवरण निम्न प्रकार है।

1. पहाड़ कटान कार्य मार्ग निर्माण हेतु।
2. रिटेनिंग वॉल एवं वेस्ट वॉल का निर्माण।
3. स्कपर एवं कौजवे का निर्माण।
4. कच्ची तथा पक्की नाली का निर्माण।
5. कि०मी० स्टोन, है०मी० स्टोन, एज स्टोन तथा संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता विभाग
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता विभाग
कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

रूप 3/11

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
अधिसूची अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
असेट-चमोली
नारायणबाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली

जिलाधिकारी
चमोली

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land to be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted steep hill slope as also to be avoided
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical Engineers and Geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground Engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as:-

1. Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided. Box cutting is to be avoided to the extent possible.
2. Blasting by explosives is to be restricted to the minimum Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for aniline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process
3. All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants

In certain selected unstable areas terraced has also been plasticized as a stabilizing measure with good results

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guide lines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

[Handwritten Signature]
442

[Handwritten Signature]
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
PWD, Karanprayag (Chamoli)

[Handwritten Signature]
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. DIV
PWD Karanprayag (Chamoli)

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत, जनपद-चमोली, विकासखण्ड-गैरसैण, बंगोली - चूला मोटर मार्ग के समरेखण पर भूवैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

रिपोर्ट सन्दर्भ:- पी0एम0जी0एस0वाई0, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कर्णप्रयाग के अधीन बंगोली - चूला मोटर रोड का निर्माण किया जाना है, प्रदेश की ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की सलाहकार एजेन्सी, टैक्नीकल कन्सलटैन्सी सर्विसेज, 14-सी अरावली एन्क्लेव, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित सड़क का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान टी0सी0एस0 के साईट प्रतिनिधि श्री मनोज आर्य भी उपस्थित थे।

जनपद चमोली, गैरसैण-विकासखण्ड के बंगोली - चूला मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया था, दोनो समरेखणो का तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन करने पर समरेखण 1 (मानचित्र संलग्न) को उपयुक्त पाया गया है। समरेखण 1 के साथ ज्यादातर ग्रामवासी / समुदाय भी सहमत है। समरेखण 1 जोकि कर्णप्रयाग सिरी-कोटी मोटर मार्ग के 4 वे किमी0 से प्रारम्भ होता है। अन्य तथ्य सही होने पर नियमानुसार समरेखण 1 का भूवैज्ञानिक निरीक्षण किया गया इसी परपेक्ष में रिपोर्ट तैयार की गयी है जिससे प्रमुख हैजर्ट्स को समझते हुये प्रास्तावित सड़क के कन्स्ट्रक्शन प्लान को सुगम बनाया जा सके।


प्रस्तावित एलाईमेन्ट क्षेत्र रिजनली Almora Group of Rocks के अन्तर्गत आता है। रिजनली पूरा क्षेत्र North Almora Thrust व South Almora Thrust के अन्तर्गत रखा गया है। भूभाग भूगर्भीय दृष्टि से मेनसेन्ट्रल थ्रस्ट के भी निकट है। स्थानीय रूप से प्रमुख चट्टाने garnetiferous mica-schist, micaceous quartzites, augen gneisses, schistose phyllite, carbonaceous और कही कही पर अल्टरनेटिंग रिथमिक बैण्ड्स ऑफ फाइन ग्रेंड माइका भी देखने में आया है। फेसीज का बदलाव व संरचनात्मक बदलाव पूरे समरेखणों में देखने में आता है। स्थानीय रूप से देखने में आया है कि स्लोप प्रोफाईल मुख्य रूप से मध्यम है परन्तु कही कही पर तीष्ण ढाल भी देखने में आते है। स्थानीय चट्टान की स्ट्रेन्थ का अनुमान 50 से 100 MPa व अवसाधन न्यूनतम W1 से W2 ग्रेड का पाया जाता है। सामान्यतः 3 व कहीं कही पर 4 से 5 सेट ऑफ डिसकन्ट्यूनिटी पेटर्न भी पाया जाता है पूरे समरेखण के अन्तर्गत ओवर बर्डन सामान्यतः मिलता है जो कही ज्यादा व कही बहुत पतला है। कही कही पर न्यून स्तर पर भूक्षरण भी देखने में आया है जोकि उचित ड्रेनेज देकर आसानी से रोका जा सकता है क्षेत्र के प्रमुख हेजर्ट्स में भूकम्प, भूक्षरण एवं इन दोनो प्रमुख हेजर्ट्स से सम्बन्धित मल्टीपल हेजर्ट्स है।

समरेखण उपयुक्तता स्टेटमेन्ट

उपरोक्त भूवैज्ञानिक तथ्यों एवं समुदाय की आवश्यकता को देखते हुये, समरेखण 1 प्रस्तावित ल0 किमी0 13.125, बंगोली-चूला मोटर मार्ग, संलग्न मानचित्रानुसार, विकासखण्ड- गैरसैण, जनपद चमोली को Conditionally Feasible दिया जा सकता है बर्शते अगले पैराग्राफ में दी गयी सलाहों का सड़क निर्माण में ध्यान दिया जाये। (समरेखण, संलग्न मैप में अंकित)

प्रमुख सलाहें

1. हेयर पिन बैंडों को मानकों के अनुसार वर proper drainage arrangement व प्रोपर सुरक्षा दिवाल के अनुसार बनाया जाय।
2. वर्षा के पानी का local springs discharge water के समुचित निकासी हेतु रोड साइड ड्रेन स्कपर, काजवे, कल्वर्ट आदि का निर्माण किय जाय।
3. क्षेत्र की भूकम्पीय स्थिति को ध्यान रखते हुये construction plan तैयार किया जाय।
4. हिल साइड में ड्रेन को extra wide बनाना चाहिये, जिससे कि अपहिल साइड से आने वाला पानी रोड पर और down side the slope/wall of the road पर ना आ सकें।
5. हिमालय की प्राकृतिक आपदाओं व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुये शैल कटान के वक्त जहाँ आवश्यक हो नियन्त्रित ब्लास्टिंग की जाय। अन्यथा मैनुअली कटिंग की जाय।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त आई0आर0सी0/आई0एस0कोड0 में जो हिमालय में सड़क निर्माण कके लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये है, को भी संज्ञान मे लिया जा सकता है।
7. मोटर रोड हाफ कट एवं हाफ फिल टैक्निक, यदि जोन ज्यादा संवेदनशील होने पर बनाया जा सकता है, लेकिन फिलिंग मैटीरियल की मजबूती की तरफ ध्यान देना आवश्यक है।
8. कटिंग के दौरान निकले हुए मैटीरियल को पूर्व निर्धारित dump yard में डालना चाहिये, लोवर स्लोप में फेंकने से भूक्षरण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। (Muck disposal plan होना चाहिये)।
9. जहाँ तक सम्भव हो बी0आई0एस0 के Hill area development के कोड को फौलो किया जाना चाहिए।


 Bhuvan Joshi
 Empanelled Geologist
 Bhubaneswar, Odisha
 Bureau of Mines
 Registration No. RQP/DDN/180/2013
 Govt of India

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरण विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये, वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खण्डे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खण्डे वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अभिशासी अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

आध्यात्मिक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रायोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

7000
मोवा

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

पटवारी

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

पटवारी

कनिष्ठ अभियन्ता
कर्णप्रयाग

अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
अधिसूची अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

उप निदेशिका
उप निदेशिका
कर्णप्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
असेट-सिमली रेंज
नारायणगढ़

जिलाधिकारी
चमोली

प्रभागीय वन विभागाध्यक्ष
बदनाथ वन विभाग
चमोली

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन्य जीव एवं स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी,
असेड सिमली रेंज
नारायणबगड़

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिरासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग
अधिरासी अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

प्रभागीय अधिकारी
बदोनायक जन सेवा
बोपेश्वर (चमोली)

98

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को ईंधन के प्रयोग के लिये प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुकिंग गैस/केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आस-पास वनों के वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग
अधिसासी अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी,
असेड सिमली रेंज
नारायणबगड़

प्रमाणित अधिकारी
स्वीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चम्रोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

प्रस्तावित परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न ग्रामों/परिवारों/जनसंख्याओं को लाभ प्राप्त होगा।

क्र० सं०	गाँव का नाम	सेन्सस कोड	जनसंख्या
1	गबनी	141400	249
2	चूला	138200	325
Total			574

वार्ड अभियंता

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
खण्ड-कर्णप्रयाग
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग


आध्यात्मिक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग
अधिशाली अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1- ईको-क्लास श्रेणी.....	VI
2- हरियाली का घनत्वा.....	4.00 प्रतिशत
3- एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....	991000.00 रूपये
4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....	2.118 हे०
5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....	2098938.00 रूपये


प्रभागीय अधिकारी
पर्यावरण वन विभाग
बोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्र०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

आदेशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता क्षेत्र
आदेशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्र०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि०मी० 1 से 7.275 कि०मी० तक।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 2.118 है०, वन भूमि का वर्तमान बाजार दर 7.00 लाख हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू० 14.826 ^{लाख} होता है तथा वार्षिक लीज रेंट शून्य प्रतिशत की दर से शून्य रू० होता है।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
ग्रामीण अभियन्ता
खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

अधिसारी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्ता
अधिसारी अभियन्ता
ग्रा०अभि० सेवा खण्ड
पी०एम०जी०एस०वाई
कर्णप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
असेंड-सिमली रेंज
नारायणबागड

उप निरीक्षक
कर्णप्रयाग

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बगोली - चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.118 हे०
सिविल भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना के सीमांकन पीलरों का नव निर्माण
मोटर मार्ग की कुल ल०
सीमांकन पीलरों की सं०

7.275 किमी

73 न०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	नपत मीटरों में			मात्रा घनमी०	दर रु०	घनराशि रु०
			ल०	चौ०	ऊँ०			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	मिट्टी पत्थर कटान कार्य							
	स्थल विकास कार्य (मि०प०)	73 x 1	1.00	1.00	(1+0) / 2	36.500000		
	सीमा पीलरों के निर्माण हेतु बुनियाद खुदाई कार्य	73 x 1	1.00	1.00	0.30	21.900000		
	योग (मि०प०)					58.400000	226.40	13221.76
b	आधार में कोयला विछाना	73 No.				103	LS	5150.00
c	बैस में आर०सी०सी० स्लैप डालना	73 x 1	1.00	1.00	0.10	7.300000		
	उक्त स्लैप के मध्य में आर०सी०सी० पीलर निर्माण	73 x 1	0.30	0.30	1.10	7.227000		
	योग (आर०सी०सी० कार्य का)					14.527000	8325.50	120944.54
d	सीमेंट प्लास्टर करना । 1:4 सी०एस० 12एम०एम० में							
	खड्डे भाग में	73 x 4	0.30		1.10	96.360000		
	टोप में	73 x 1	0.30	0.30		6.570000		
	योग(1:4 प्लास्टर कार्य)					102.930000	167.90	17281.95
e	सफेदी कार्य करना					102.930000	18.30	1883.62
f	आर०सी०सी० में सरिया की मात्रा	14.52700 Cum	x (0.785x1.5x100) kg/ cum=			1710.55425	64.30	109988.64
						kg	Rs / kg	
					योग			268470.50

प्रस्तावित प्राकलन की राशि रु० 268471

Public Works Department Uttarakhand DSR REPORT
Name Bilding / Roads & Bridges Uttarakhand
Rate Card Block 12 Narain Bagar (CHAMOLI) Effective Date 16/05/2014
Year 2014-2015

S.No	Description	Rate	Item No.	Unit
1	2	3	4	5
1	Excavation in all kinds of soil	226.40	80971 1-2-6-1	Cum.
2	12 mm cement plaster of mix 1:4(1 cement : 4 fine sand)	167.90	81957 1-13-1-1	Cum.
3	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilaste shuttering, finishing and reinforcement		1--5-2	
	1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	8,325.50	81118 1--5-2-3	cu.m
4	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete.		1-5-22	
	Reinforcement for R.C.C. Work Using Mild Steel and Medium /Tensile Steel Bars	64.30	81164 1-5-22-1	kilogram
5	New work (two or more coats) with a base coat of white washing with lime	18.30	82015 1-13-38-1	Cum.

वन क्षेत्राधिकारी
असेंडेंट इंजीनियर
नारायणबाग

(सिद्धपाल सिंह) 9858


प्रभागीय DPO अधिकारी
बदोलाय वन विभाग
बोरिवरु (चमोली)


आर०सी०सी० पिलरों के निर्माण हेतु धनराशि वहन किये जाने हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली से चूला मोटर मार्ग निर्माण हेतु सिविल भूमि 2.118 हैक्टेअर का पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग को हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि बगोली से चूला मोटर मार्ग हेतु आर०सी०सी० पिलरों के निर्माण के लिये आवश्यक समस्त धनराशि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वहन की जायेगी।

 ARB


सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग (चमोली)


अधिसासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग (चमोली)

CHECK LIST

Name of the project - Construction of Bagoli-Chula Motor Road under PMGSY		
Sl. No.	Name of Document	Page No.
1- Main Attachments		
✓ 1.1	Document in support of the Competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency	2
✓ 1.2	Survey of India Map toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted	3
✓ 1.3	Geo Referenced Map of the forest land Proposed to be diverted prepared using GPS	4
✓ 1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend	5
✓ 1.5	Note containing justification for locating the project in forest area	6 to 7
✓ 1.6	Certificate by D.M.-for Forest Right Act 2006	8 to 20
✓ 1.7	Survey of India topo sheet in 1:50,000 scale indicating Location of land identified for Compensatory Afforestation	21
✓ 1.8	colored copy of the Google Map showing the land identified for CA	22
✓ 1.9	proof of the ownership of the Non-Forest land to be provided by User Agency and NOC	23 to 30
✓ 1.10	MOU/Agreement executed between the present Owner and the User Agency	31 to 32
NA 1.11	Cost benefit Analysis (for more than 5.0 Ha of Land Diversion)	-
2- Additional Documents		
✓ 2.1	Narrative and Importance of the project	32 to 34
✓ 2.2	Administrative and Financial Sanction	33 to 34
✓ 2.3	Preliminary Joint Inspection Report	35 to 37
✓ 2.4	Comparative Chart showing Statement of both alignment of the road	38 to 40
		41 to 48
✓ 2.5	Certificate from DM that no Alternative suitable non-forest land is available for the project and the demand for the forest land for the project is barest minimum	49
✓ 2.6	Land Schedule	50 to 52
✓ 2.7	Categorise wise land length, width and Area	53
✓ 2.8	Bar Chart with Index of land schedule	54
✓ 2.9	Compensatory Afforestation Scheme on Civil and Soyan	55 to 57
✓ 2.10	Certificate regarding suitability of identified land for Compensatory Afforestation	58 to 59
✓ 2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road Side Plantation	60
✓ 2.12	Road Side Plantation Estimate	61 to 64
✓ 2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road Side plantation	65
✓ 2.14	Estimate of 100 Trees plantation (less than 1.0 hectare case)	66 to 70
✓ 2.15	Detail of trees with their Scientific Name	66 to 70
✓ 2.16	Inspection report of the CF in case of felling of Oak trees	71 to 72
✓ 2.17	Certificate from DFO in felling of trees is not involved	-
✓ 2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work	73
✓ 2.19	Muck Disposal Scheme	74 to 82

Name of the project - Construction of Bagoli-chula Motor Road under PMGSY		
Sl. No.	Name of Document	Page No.
✓ 2.20	Status of the project being a part of National park or sancturay and arial distanceof the project from National park or Sanctuary	83
✓ 2.21	If the Project is within 10 km radius of National park, sancatuary, NOC fo CCF Life Wild	84
N/A 2.22	if the project falling within the National park or Sanctuary, recommendaton of State Wild Life Board, National Board of Wild Life and permission fo Hon' able Suprene Court/ MoEF GOI	-
✓ 2.23	No voilation regarding FC Act 1980	85
✓ 2.24	NOC from Gram Sabhas	86
N/A 2.25	Approved general layout plan/ Alignment and estinate	-
✓ 2.26	Component wise details of construction work	87
✓ 2.27	Certificate for work has not been started	88
✓ 2.28	Geologist Report	89 to 90
✓ 2.29	Task Force Report	91
✓ 2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in manak Shartin	92
✓ 2.31	Certificate by user agency for complying the codion imposed by geologist/task force in hill areas	93
✓ 2.32	No historical / monumental or religious place will be affected	94
✓ 2.33	Undertaking regarding no animal woll be affected adversely by the project	95
✓ 2.34	Undertaking to provide alternative fuel wook, keroesne or LPG to labourers involved in the project	96
✓ 2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate	97
✓ 2.36	NPV calculation certificate as per Hon'able Supreme Court/MOEF orders	98
✓ 2.37	Undertaking of payment of N{V' if Hon'able Supreme Court increases the rates of NPV	99
✓ 2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate	100
✓ 2.39	Certificate of Lease period by User Agency	101 A
✓ 2.40	Demarcation of land to be to be diverted	101 A
✓ 2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work	102
✓ 2.42	Non-availability of non-forest land for compersatort afforestation certificate	-
✓ 2.43	Check List	